

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 249 / 2010
संस्थान दिनांक 29.06.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

शेरअली पिता वहीद अली, आयु 62 वर्ष
निवासी-निर्गमयामान मोहल्ला,
खरगोन, थाना कोतवाली

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 23.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 107 / 2010 अंतर्गत 279, 337, 338, भा.द.सं. में दिनांक 29.06.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 18.06.2010 को दोपहर लगभग 2:30 बजे, लोक मार्ग दवाना बायपास रोड़ पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बसंती को टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से फरियादी बसंती को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.06.2010 को फरियादी उमाबाई उसकी पुत्री बसंती को ठीकरी अस्पताल बताने आने के लिए फरियादी उमाबाई व बसंती दवाना बायपास से माँ उमिया पाटीदार बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 में दोपहर 2:30 बजे उसकी पुत्री आगे के दरवाजे से बस में चढ़ने लगी तभी बस के चालक ने बस को लापरवाहीपूर्वक से आगे बढ़ा लिया जिससे बसंती बस से नीचे गिर गई और बसंती को बायें ओर आँख के पास, दाहिने ओर पसली में, दोनों हाथ एवं पैर तथा कमर में चोटें आईं। पुलिस ने फरियादी उमाबाई द्वारा की गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 104/2010 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी उमाबाई की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के पेश करने पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 को मय दस्तावेज व अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये व पुलिस ने चिकित्सक द्वारा आहत बसंतीबाई के एक्सरे परीक्षण में अस्थि भंग पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.06.2010 को दोपहर लगभग 2:30 बजे, लोक मार्ग दवाना बायपास रोड़ पर वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर बसंतीबाई को टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी बसंतीबाई को घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में उमाबाई (अ.सा.1), बसंतीबाई (अ.सा.2), बाबुलाल (अ.सा.3), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.4), हुकुम (अ.सा.4), उपनिरीक्षक बी.सी. तंवर (अ.सा.5), प्रदीप पाटीदार (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में उमाबाई असा 1 का कथन है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व की घटना है। वह एवं उसकी पुत्री ठीकरी काम से जा रहे थे। पाटीदार बस रूकी हुई थी वह बस में चढ़ गई थी तथा उसकी पुत्री बसंती बस में चढ़ रही थी तभी चालक ने बस को आगे चला दिया। चालक ने बस के ब्रेक लगाये, जिससे उसकी पुत्री नीचे गिर गई और बस के पिछले टायर में आने से बसंती की कमर की हड्डी में, सिर में एवं हाथ में चोटें आई थी। बस का क्रमांक उसने थाने पर दे दिया था। उसे बस का क्रमांक नहीं मालूम। उसके साथ गाँव का हुकुम भी था। उसने थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लिखाई थी और उस पर निशानी अंगुठा लगाया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 पर अपना अंगुठा स्वीकार किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अंजड़ से ठीकरी पाटीदार की बहुत सी बसे चलती है। बस का मालिक कौन है उसे नहीं मालूम। उसने बस का क्रमांक हाथ से लिखकर नहीं दिया था क्योंकि वह पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि उसके साथ में जो लोग थे उनसे वाहन का क्रमांक लिखवाया था।

8. बसंती असा 2 ने भी 1 वर्ष पूर्व पाटीदार बस में बैठते समय चालक द्वारा अचानक बस को आगे चला देने से उसके नीचे गिर जाने पर उसकी कमर के सीधी ओर दोनों हाथ की कोहनी पर एवं दोनों घुटनों पर चोट होना बताया था। अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस बस से घटना हुई थी उसका क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 था और चालक ने बस को एकदम लापरवाही एवं तेजी से आगे बढ़ा दिया था इस कारण वह बस के नीचे गिर गई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अंजड़ से ठीकरी पाटीदार की बहुत सी बसे चलती है और बस का क्रमांक उसने नहीं लिखाया था।

9. हुकुम असा 5 ने भी पाटीदार बस के चालक द्वारा बस को अचानक आगे बढ़ाने एवं बसंती के गिरने एवं उसके शरीर पर चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर पुलिस को अपने प्रदर्शपी 5 के कथन में बस का क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 बताया था। बस के चालक ने बस को लापरवाहीपूर्वक आगे बढ़ा दिया था, इस कारण दुर्घटना हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने बस का क्रमांक एक कागज पर लिखकर पुलिस को जप्त कराया था।

10. बाबुलाल असा 3 का कथन है कि 4 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी पुत्री को लेकर ईलाज हेतु जा रही थी वह घर पर था। उसकी पत्नी एवं हुकुम ने बताया था कि उमिया बस से बसंती गिर गई थी और उसे चोट आई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि हादसा बस के परिचालक द्वारा बस को आगे बढ़ा देने के कारण हुआ था। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को बस का क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 प्रदर्शपी 3 के कथन में बताया था। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने बस के चालक द्वारा बस को लापरवाहीपूर्वक आगे बढ़ाने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं था। वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी।

11. डॉ. आर.एस. मुजाल्दा असा 4 का कथन है कि दिनांक 18.06.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था तथा आरक्षक योगेश के द्वारा लाने पर आहत बसंती पिता बाबुलाल, आयु 13 वर्ष निवासी-ग्राम दवाना का मेडिकल परीक्षण करने पर सिर के बाईं सूजन एवं दाहिनी ओर रगड़ का निशान होना तथा दाहिने हाथ पर रगड़ तथा पीठ के दाहिनी ओर रगड़ का निशान होना पाया था तथा साक्षी ने कमर में दर्द होना बताया था तथा कोई बाहरी चोट नहीं होना पाया था। उक्त सभी चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 2 एवं 3 सामान्य प्रकृति की थी। चोट क्रमांक 1, 4 व 5 के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है।

12. बी.सी. तंवर असा 6 ने दिनांक 18.06.10 को थाना ठीकरी का अपराध क्रमांक 104/10 की विवेचना के दौरान उमाबाई के बताये अनुसार प्रदर्शपी 6 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने तथा अभियुक्त के पेश करने पर बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञापित प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि बसंती के एक्सरे परीक्षण में पैर में

डिसलोकेशन होने से उसके द्वारा भा.द.स. की धारा 338 बढ़ाई गई है। उसने बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 के वाहन मालिक प्रदीप कुमार पाटीदार निवासी ग्राम कुआ से उक्त बस की दुर्घटना के समय वाहन चालक की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत सूचना पत्र भेजा था जो प्रदर्शपी 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा वाहन मालिक प्रदीप कुमार पाटीदार ने दुर्घटना के समय उसके बस का चालक अभियुक्त शेरअली निवासी खरगोन होना बताया है जो प्रदर्शपी 10 है और बस मालिक ने उसके सामने लिखकर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि साक्षियों ने उसे बस के चालक का नाम नहीं बताया था। लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों ने उसे उक्त बस का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी बसंती अशिक्षित है। साक्षी ने स्वीकार किया कि बस के मालिक ने अभियुक्त की जमानत दी थी। लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि बस के मालिक ने प्रदर्शपी 10 का कोई पत्र नहीं दिया था।

13. प्रदीप पाटीदार असा 7 का कथन है कि उसकी पाटीदार बस के नाम से पब्लिक केरियर है। वर्ष 2010 में उसकी बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 ग्राम दवाना में दुर्घटना हुई थी। घटना के समय बस के चालक के रूप में कौन था उसे नहीं मालूम। लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 10 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 9 के सूचना पत्र के जवाब में प्रदर्शपी 10 के पत्र द्वारा उसकी बस का चालक के रूप में अभियुक्त का नाम लिखकर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 10 के पत्र की हस्तलिपि उसकी है। लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 10 का ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करता है। लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने पुलिस के विश्वास पर हस्ताक्षर कर दिये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वह वाहन थाने पर सुपुदर्गी पर प्राप्त करने गया था तब पुलिस ने उससे 3-4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे।

14. इस प्रकार उमाबाई असा 1 अपने सम्पूर्ण कथन के दौरान बस का क्रमांक देखने से इंकार किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि उनके साथ जो व्यक्ति थे उनसे वाहन का क्रमांक लिखवाया था, लेकिन उन व्यक्तियों का परीक्षण अभियोजन साक्षी के रूप में नहीं कराया गया है। बसंतीबाई असा 2 तथा हुकुम असा 5 ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान दुर्घटना कारित करने वाली बस का क्रमांक नहीं बताया था।

15. हुकुम असा 5 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने बस का क्रमांक एक कागज पर लिखा था और उसने पुलिस को जप्त करवाया था लेकिन अभियोग पत्र के साथ ऐसा कोई कागज पर लिखा हुआ नम्बर प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी भी अभियोजन साक्षी ने उपस्थित अभियुक्त की पहचान दुर्घटना कारित करने वाले बस को चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की है। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त मार्ग पर पाटीदार बस बहुत सारी चलती है। प्रदीप पाटीदार असा 7 जो कि बस का मालिक है ने भी घटना के समय बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 का चालक अभियुक्त होने से स्पष्ट इंकार किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि बसंती असा 1 को दिनांक 18.06.10 को दोपहर 2:30 बजे जिस बस से दुर्घटना कारित हुई वह बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 थी अथवा यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाली बस को चला रहा था। ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 279, 338 का अपराध अपराध नहीं होता है।

16. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त शेरअली के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त शेरअली को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 338 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0751 दिनांक 29.06.2010 को उसके पंजीकृत स्वामी प्रदीप पिता हेमराज पाटीदार, निवासी-ग्राम कुआ, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी